न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) कोटकासिम (अलवर

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.
	सुशीला बनाम ग्राम पंचायत गुजसर
3/10/16	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वकील उपस्थित। वकील अधिवक्ता को सुना गया। अधिवक्ता वकील ने अपील के दफा-5 को खारिज करने का निवेदन किया गया। पत्रावली में दिनांक 4 अपील के दफा-5 प्रा.पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया गया। आलोच्य नामान्तरण संख्या-276 व 277 निर्णय दिनांक 5-9-2013 पंचायत समिति तह. कोटकासिम में ग्राम पंचायत गुजसर द्वारा अधिवक्ता सं. 3-मानेता, 4- राकेश, 5- अशोक की उम्र नाबालिगान दर्ज नहीं की गई है जबकि इन्तकाल दर्ज करते समय अधिवक्ता 3,4,5 मानेता- अशोक- राकेश नाबालिग होना सुनिश्चित रूप से जन्म प्रमाण-पत्र से लगाते हैं अतः प्रा.पत्र दफा-5 स्वीकार किया जाता है अपील अधिवक्ता आंशिक स्वीकार की जाती है प्रकरण तहसीलदार कोटकासिम को रिमान्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह आलोच्य नाम. 276 व 277 ग्राम जालावा जांच कर पुनः निर्णय पारित करे। इहकाम जारी हो। निर्णय आज दिनांक 3-10-2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner